

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 49/2020

बिमला पत्नी रामानन्द जाति जाट निवासी पीपली तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
- वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र लोकराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
2. शीशपाल पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
3. रेशम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
4. पवन पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
5. जयदीप पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
6. मनोज पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
7. दिनेश पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
8. ममता पुत्री राजवीर जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
9. रीता पुत्री राजवीर जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
10. बबरीभान पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
11. राजकपुर पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरु हाल आबाद लीखवा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
12. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनगोठड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनगोठड़ी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०।
13. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक -05.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क) यह कि भूमि खेत खसरा नम्बर 633 रकबा 3.80 हैक्टर स्थित ग्राम लीखवा तहसील सूरजगढ़ में वादीया को भूमि का पश्चिमी दिशा की 4/15 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए पक्षकारान दावा के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जा काश्त के आधार पर बाई मिट्स एवं बाई बाउण्डस खाता विभाजन किया जाकर वादिया के हिस्से में आई भूमि पर वादिया का अलग से कब्जा करवाया जाकर भूमि का लगान भी अलग अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।
- (ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि के विभाजन में प्राप्त वादीया के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।
- (ग) यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
- (घ) यह कि अन्य सिद्धि जो बहक वादीया हो और भूल या गलती से चाहे जाने से रह गई हो वह भी वादीया को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फायदा देकर दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद तामिल आवाज पर ना ही प्रतिवादीगण उपस्थित हुए ना ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

सुपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 49/2020
बिमला बनाम बीरबल वगै०
निर्णय दिनांक:- 05.10.2023

-:: आदेश:-

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 633 रकबा 3.80 हैक्टर स्थित ग्राम लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/2023/1136 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

पदेन उप जिला कलक्टर,

सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

पदेन उप जिला कलक्टर,

सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 49/2020
बिमला बनाम बीरबल वगै०
निर्णय दिनांक:- 05.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 49/2020

निर्णय दिनांक :- 05-10-2023

बिमला बनाम बीरबल वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामेश्वर दयाल एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.10.2023 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 633 रकबा 3.80 हैक्टर स्थित ग्राम लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/2023/1136 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़